

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 2(58) / ग्रावि-3 / नरेगा / 08-09

जयपुर, दिनांक : 5/10/09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करने के क्रम में।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.06.09, 31.08.09 एवं 23.09.09


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लेखों का सनदी लेखाकार से अंकेक्षण करा रिपोर्ट 25.09.09 को विभाग को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। परन्तु अत्यधिक खेद का विषय है कि अभी तक आप द्वारा अपेक्षित सनदी लेखाकार की रिपोर्ट विभाग को प्रेषित नहीं की गई।

इस क्रम में यहां यह उल्लेखनीय है कि, मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 30.09.09 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा बिना सनदी लेखाकार की रिपोर्ट के योजनान्तर्गत निधियां जारी नहीं की जायेगी।


अतः पुनः लेख है कि अपेक्षित सनदी लेखाकार की रिपोर्ट विभाग को तत्काल प्रेषित करावें, ताकि प्राप्त रिपोर्ट भारत सरकार को अप्रेषित कर योजनान्तर्गत राशि निर्मुक्त कराई जा सके। यदि योजनान्तर्गत निधियों की कमी के कारण किसी प्रकार के कोई भुगतान विलम्बित होता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 2(58) / ग्रामीण-3 / नेशना / 08-09

जयपुर, दिनांक : ५/१०/०९

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विवरण :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंकेष्टित लेखे प्रस्तुत करने के क्रम में।
संदर्भ :- विभागीय समसंबंधक पत्र दिनांक 17.06.09, 31.08.09 एवं 23.09.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लेखों का
सनदी लेखाकार से अंकेष्ट करा रिपोर्ट 25.09.09 को विभाग को प्रस्तुत करने हेतु
लिखा गया था। परन्तु अत्यधिक खेद का विषय है कि अभी तक आप द्वारा अंकेष्टित
सनदी लेखाकार की रिपोर्ट विभाग को प्रेसित नहीं की गई।

इस क्रम में यहां यह उल्लेखनीय है कि, मार्गदर्शिका में दिये गये प्राक्षणानों
के अनुसार 30.09.09 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा बिना सनदी लेखाकार की
रिपोर्ट के योजनान्तर्गत निविद्या जारी नहीं की जायेगी।

अतः पुनः लेख है कि अंकेष्टित सनदी लेखाकार की रिपोर्ट विभाग को
तत्काल प्रेसित करायें, ताकि प्राप्त रिपोर्ट भारत सरकार को अंकेष्टित कर
योजनान्तर्गत राशि निर्मुक्त करदै जा सके। यदि योजनान्तर्गत निविद्या की कमी के
उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मवदीय,
(राजेन्द्र भाणवत)
आयुक्त, ईजीएस

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
- नियी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
 - परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
 - रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस